



2026:AHC:174405

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7502 वर्ष

2026

ऋतुराज त्रिपाठी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : प्रदीप कुमार मिश्रा, विनय कन्नौजिया

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आज न्यायालय में एक अनुपूरक शपथपत्र दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान एजीए के तर्क सुने गए।
3. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 75/2024 में दाखिल किया गया है और यह भादं.सं की धारा 120-ख, 419, 420, 467, 468, 471 और उ.प्र. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1998 की धारा 6/10 के तहत सलेमपुर पुलिस थाना, जिला देवरिया में दर्ज है जिसमें आवेदक ने अग्रिम जमानत की मांग की है क्योंकि उसे इस प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी का डर है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक पर आरोप है कि उसने अपनी जगह हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने के लिए पेशेवर परीक्षा देने वाले रखे थे। अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को झूठे प्रकरण में फँसाया गया है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया है। उनका कहना है कि आवेदक टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में वरिष्ठ कॉर्पोरेट प्रबंधकर्ता के तौर पर नौकरी करता है और उसे हाई स्कूल की परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सह-आरोपी मनवीर सिंह को इस न्यायालय ने एनएबेल संख्या 2454/2025 में अग्रिम ज़मानत दे दी है। अन्य सह-आरोपियों - धर्मेन्द्र कुमार, बबलू उर्फ दर्शन सिंह, संदीप कुमार, अनीश कुमार और रोशन लाल, को भी इस न्यायालय ने नियमित ज़मानत दे दी है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक विवेचना में सहयोग करने को तैयार है। घटना 2024 की है। बताया गया है कि विवेचना अभी भी चल रही है।

5. विद्वान एजीए ने अग्रिम ज़मानत देने की मांग का विरोध किया है, लेकिन वे आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बता पाए हैं।

6. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया है।

7. कहा जाता है कि आवेदक ने सह-आरोपी की सेवाएँ ली थीं, जो आवेदक की जगह हाई स्कूल की परीक्षा में बैठा था। आवेदक का नाम उन सह-आरोपियों के बयान से पता चला जिन्हें मौके से गिरफ्तार किया गया था और उनसे बरामद दस्तावेजों से भी इसकी पुष्टि हुई। कहा जाता है कि सह-आरोपी बबलू उर्फ दर्शन सिंह ने उन सह-आरोपियों को नकली आधार कार्ड और प्रवेश पत्र उपलब्ध कराए थे जो असली परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा दे रहे थे। सह-आरोपी बबलू उर्फ दर्शन सिंह को नियमित ज़मानत मिल चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न्यायालय की शुरुआती राय में, अब उसे हिरासत में पूछताछ या किसी चीज़ की बरामदगी के लिए ज़रूरत नहीं है।

8. ऊपर बताए गए प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और इस तथ्य को भी कि सह-आरोपी मनवीर सिंह को इस न्यायालय से अग्रिम ज़मानत मिल चुकी है, अग्रिम ज़मानत देने के लिए शुरुआती आधार बनता है।

9. आवेदक की अग्रिम ज़मानत की आवेदन स्वीकार किया जाता है।



10. अगर उक्त प्रकरण में शामिल आवेदक- ऋतुराज त्रिपाठी को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे संबंधित पुलिस थाना के थानाध्यक्ष/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और प्रतिभू देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

- i. जब भी जरूरत हो, आवेदक पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा;
- ii. आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं;

11. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर बताई गई बातें केवल इस अग्रिम जमानत आवेदन पर फैसला करने के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

18 अगस्त, 2026

कुशल